(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTEE OF INDIA PART-I SECTION II) F. No. I-14011/05/2024-IPS-I (E) (I)

Government of India Ministry of Home Affairs

New Delhi, Date: 13.11.2024

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 9 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the President is pleased to appoint the following members of Chhattisgarh Police Service to the Indian Police Service and to allocate them to the Chhattisgarh Cadre under sub-rule (1) of the rule 5 of the Indian Police Service (Cadre) Rules, 1954:-

Select List 2022

S1. No	Name of the Officer (S/Shri/Ms.)	Date of Birth
1.	Praful Kumar Thakur	12.10.1969

Select List 2023

S1. No	Name of the Officer (S/Shri/Ms.)	Date of Birth
1.	Vijay Kumar Pandey	29.07.1974

The aforesaid officers will remain on probation for one year as per rule of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 and the officers will obtain induction training as per sub rule 5(4) of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954 as amended dated 10.05.2011.

(Sanjeev Kumar)

Under Secretary to the Government of India Tele No. 2309 4517

New Delhi, Date: 13.11.2024

To

The Manager, Govt. of India Press, Minto Road, New Delhi-110064

No. I-14011/05/2024-IPS.I (E) (I)

Copies to:

- 1. Chief Secretary, Government of Chhattisgarh, Raipur with the request that the officers concerned may be intimated of their status in the Select List along with a copy of the Notification.
- 2. Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi - for information.
- 3. Director General of Police, Government of Chhattisgarh, Raipur.
- 4. Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad.
- 5. Accountant General, Government of Chhattisgarh, Raipur
- 6. Sr. Tech. Dir. (NIC) for placing on MHA IPS Portal under link Chhattisgarh.aspx against and 'What's New' https://ips.gov.in/App Section under heading Select List 2022 and 2023.

Under Secretary to the Government of India

{भारत के राजपत्र]] भाग 1] खण्ड (II), में प्रकाशनार्थ} सं. I-14011/05/2024-IPS.I (E) (I)

भारत सरकार गृह मंत्रालय

> नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली दिनांक:13.11.2024

अधिसूचना

राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नित द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय पुलिस सेवा भर्ती विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) में प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा के निम्निलिखित सदस्यों को भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त करते हैं तथा उन्हें भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) विनियम, 1954 के विनियम 5 के उप विनियम (1) के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ संवर्ग प्रदान करते है:

चयन सूची 2022

क्रमसं0	अधिकारी के नाम (श्रीमती/श्री)	जन्म तिथि
1.	प्रफुल्ल कुमार ठाकुर	12.10.1969

चयन सूची 2023

क्रमसं0	अधिकारी के नाम (श्रीमती/श्री)	जन्म तिथि
1.	विजय कुमार पाण्डेय	29.07.1974

2. उपरोक्त अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954, के तहत एक वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे और भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) विनियम, 1954 के नियम 5 (4) में संशोधन दिनाक 10-05-2011 के तहत अधिकारी को इंडक्शन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(संजीव कुतार)

अवर सचिव, भारत सरकार दूरभाष- 011-23094517

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मिंटो रोड, नई दिल्ली ।

सं. I-14011/05/2024-IPS.I (E) (II) (b)

नई दिल्ली, दिनांक: 13.11.2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:

- मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर यह अनुरोध है की संबंधित अधिकारियों को चयन सूची में उनकी स्थिति के बारे में सूचित कर दिया जाए और उन्हें अधिसूचना की एक प्रति भी दे दी जाए।
- 2. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली ।
- 3. महालेखापाल, छत्तीसगढ़ सरकार, रायपुर ।
- 4. प्लिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ सरकार, रायप्र ।
- 5. निदेशक सरदार वल्लभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
- 6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एनआईसी) को उपर्युक्त अधिसूचना को वेबसाइट में प्रदर्शित करने हेतु। (under link https://ips.gov.in/App_chhattisgarh.aspx") under heading Select List 2022 -2023 Chhattisgarh.

अवर सचिव, भारत सरकार

(संजीव कुमार)